क्रमांक 774-5 जी0एस0-1-77/10594

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डलों के आयुक्त,
[सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (सिविल), हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़ तथा
सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़, 20 अप्रैल, 1977 ।

विषय : चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1507-5 जी0 एस0-1-73/8724, दिनांक 30 मार्च, 1973, क्रमांक 3049-5 जी0एस0-1-73/14393, दिनांक 5 जून, 1973 तथा क्रमांक 3077-5 जी0एस0-1-74/13841, दिनांक 13 जून, 1974 में जारी की गई हिदायतों की ओर आकर्षित करूं और यह सूचित करूं कि अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा ने सरकार के ध्यान में लाया है कि बहुत से विभागों ने सरकार की उपरोक्त हिदायतों अनुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक के पदों पर पदोन्नत करने हेतु अपने विभागीय सेवा नियमों में अभी तक आवश्यक संशोधन नहीं किए हैं तथा इस के विपरीत अपने तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिपिक के पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी कर रहे हैं । इस बारे में हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1259-5 जी0एस0-1-74/13840 दिनांक 13 जून, 1974 के पैरा 4 में भी स्थिति स्पष्ट की गई थी । सरकार ने पुनः ध्यानपूर्वक विचार किया है कि और यह पाया गया है कि उपरोक्त हिदायतों अनुसार विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए बिना किसी तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को लिपिक के पद पर पदोन्नत करना ठीक नहीं है। इस लिये आप से अनुरोध किया जाता है कि सरकार के उपरोक्त हिदायतों अनुसार तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदोन्नति करने बारे अपने विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन शीघ्राअतिशीघ्र कर लिया जाए तथा ऐसा करने से पूर्व किसी तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को लिपिक के पद पर पदोन्नति न किया जाएं ।

2. यह हिदायतें सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में ला दी जाए ।

भवदीय,

हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :—

वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।